रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 1982/अग्रहायण 30, 1904

No. 208] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1982/AGRAHAYANA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्व० सूचना सं०- 40 ई० टी० सी०(पी० एन) 82

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर 1982

विषय:- खुले सामान्य लाईसेंस 3 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों आस्ट्रिया, फिनलैंड को पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के 1-1-1983 से 31-12-1983 तक निर्यात के लिए योजना।

मिसिल सं० 2/54/82-ई० —प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक सूचना सं० ई० टी० सी० (पी० एन)/82 दिनांक 18 सितम्बर 1982 के क्रम में है और तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रांस, इटली, बेनिलक्स, यू० के, आयरलैंड गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया कनाडा और फिनलैंड को। 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर 1983 तक की अवधि के लिए निर्यातों से संबंधित है।

2. योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरण: जब तक अन्यथा रुप से निदेश न दिए जाएं परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली निर्यात हकदारियों का नियतन करेगी और इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों का आवश्यक प्रमाणन करेगी किन्तु सिलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों की हकदारी का नियतन ऊन और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। लेकिन, सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के मामले में आवश्यक प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता रहेगा। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन तथा ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध है। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरणों के संबंध में जैसा उचित समझे परिवर्तन करेगी।

3. खंडों के लिए आरक्षण: (i) पहले आए सो पहले पाए के छोटे-छोटे आदेशों और केन्द्रीय राज्य निगम पद्धतियों के मामलों में, जहां कहीं आबंटन के लिए हथकरघा और मिल निर्मित वस्त्रों को श्रेणियों को मिलाया जाता है तो

वहा हथकरघा और मिल निर्मित / बिजली के करघे मे तैयार किए गए वस्त्रो का अनुपात [illegible] 1 होगा। विदेशी मागो और निर्यात हकदारियो के उपयोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए सरकार को इस अनुपात मे परिवर्तन करने का [illegible]

(2) जहा कहीं आबटन के लिए सलाई मे बुने हुए वस्त्रो को बुने हुए वस्त्रो के साथ मिलाया जाता है तो वहा उपलब्ध मात्रा का 10 प्रतिशत सलाई मे बुने हुए वस्त्रो के लिए आरक्षण रखा जाएगा।

(3) पहले आए सो पहले पाए के छोटे-छोटे आदेशो और केन्द्रीय / राज्य निगम पद्धतियो के मामले मे अन्तिम तारीख को बच्चो की पोशाको के लिए आरक्षण उस तारीख को सभी श्रेणियो मे उपलब्ध मात्रा का 10 प्रतिशत होगा।

(4) ऊनी पोशाको के मामले मे आरक्षण विनिर्दिष्ट श्रेणियों मे उपलब्ध मात्रा के अनुसार होगा। इसकी घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

4 धीमी गति वाली मदे .- पहले से ही घोषित मार्गदर्शनो मे आंशिक आशोधन करने पर धीमी गति वाली मदो के मामले मे निम्नलिखित और मार्गदर्शन लागू होगे।

(1) 100 प्रतिशत निर्यात शर्तअनुबन्ध [illegible] एकक पहले [illegible] लघु आदेश की पद्धति के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र होगे। चाहे वे 1 जुलाई 1982 को या इसके बाद परिधान निर्यात सर्वधन परिषद के पास पजीकृत किए गए हो।

(2) केन्द्रीय / राज्य निगमो और पहले आए सो पहले पाए के छोटे-छोटे आदेश की पद्धतियो के मामले मे धीमी गति की मदो के लिए पोतलदान की अवधि सार्वजनिक सूचना स० 37-ई० टी० सी० (पी० एन)/ 82, दिनांक 18 सितम्बर 1982 की कडिका 4(1) मे निहित अवधि के अनुसार ही होगी।

(3) धीमी गति की मदो मे बच्चो की पोशाको के लिए अलग से न्यूनतम कीमत वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

5. निर्यात हकदारी के प्रमाणन की वैधता अवधि .— पहले आए सो पहले पाए के छोटे-छोटे आदेश की पद्धति के मामले मे जहा वैधता अवधि 30 दिन की होगी उसे छोड़कर निर्यात हकदारी का प्रमाणन 21 दिनो के लिए वैध होगा।

6. पेशगी निक्षेप, बैंक गारंटी और उनकी जब्ती :— (1) भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक पद्धति के मामले मे एक निर्यातक के लिए जनवरी—अप्रैल 1983 के दौरान पोतलदान की गई मात्रा के लिए किसी किस्म के पेशगी करने या बैंक गारन्टी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। उसके लिए 30 अप्रैल, 1983 के बाद रोक रखी गई निर्यात हकदारियो के जहाज पर निशुल्क मूल्य की 10 प्रतिशत तक की सीमा के लिए पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी के साथ निष्पादित बाड को प्रस्तुत करना आवश्यक हो। ऐसे पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31 मई, 1983 होगी। यदि 30 अप्रैल, 1983 के बाद पोतलदान किए गए हो किन्तु पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने से पहले किए गए हो (जो 31 मई, 1983 से पहले होने चाहिए) तो उन्हे पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नही होगी। 31 मई, 1983 तक जिस मात्रा का न तो पोतलदान किया जाता है और न ही पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी के अन्तर्गत लिया जाता है तो उसे अभ्यर्पित किया गया समझा जाएगा। निर्यातक अपनी हकदारी या उसके भाग की ऐसी अभ्यर्पित मात्रा के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी [illegible] 30 सितम्बर, 1983 से पहले और भी अभ्यर्पण कर सकता है।

(2) पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे-छोटे आदेशों और केन्द्रीय / राज्य निगम प्रणाली के मामले मे, निर्यातक को आबटित मात्रा के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से बैंक गारन्टी द्वारा समर्थित [illegible] / [illegible] बाड देना अनिवार्य होगा।

(3) धीमी गति की मदो के लिए जो इस योजना के प्रावधानो के अन्तर्गत ऐसी अभिज्ञात कराई गई है, जैसा ऊपर बताया गया है तो पेशगी / बैंक गारन्टी के स्थान पर वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित नाममात्र की ही पेशगी निक्षेप करना पडेगा।

(4) एक निर्यातक जो उसको आबटित निर्यात हकदारी का 90 प्रतिशत तक का निर्यात भूतकालीन निष्पादन या विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अन्तर्गत सारे वर्ष के भीतर, या आबटन की अन्य प्रणालियो के अन्तर्गत विशिष्ट अवधि के भीतर नही करता है तो उसके पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी को जब्त नहीं किया जाएगा। एक निर्यातक जो कम से कम 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत से कम का निर्यात करता है तो उसकी अनुपातिक जब्त की जाएगी। यदि निर्यात हकदारी आबंटन का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक पूरे पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी के जब्ती के लिए देनदार होगे। जहा कही आवश्यकता होगी यह अनिवार्य बाध्यता की शर्तों के अधीन होगा।

(5) केन्द्रीय / राज्य निगमो के उन मामलो मे जहा उपयोग वैध अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक को निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर आगे की आबंटन अवधि के लिए वृद्धि प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सगत निर्यात हकदारी अवधि की समाप्ति के एक महीने के अन्दर-अन्दर भेज देने चाहिए। यह प्रावधान पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे-छोटे आदेशों की प्रणाली के अन्तर्गत धीमी गति वाली मदो के मामले मे लागू होगा। ऐसे मामलों मे,

निर्यातक को बेची हुई मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगने पेशगी निक्षेप/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी पड़ेगी। पूर्ण रूप से निर्यात करने में असफल होने की स्थिति में पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी पूरा की पूरी जब्त कर ली जाएगी।

(6) ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्यात हकदारी आबंटित की गई है किन्तु जिन्होंने उसका पूरा उपयोग नहीं किया है वे भविष्य में निर्यात हकदारी प्राप्त करने से वंचित रहेंगे। और इसके अलावा इस सम्बन्ध में उन पर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

(7) पेशगी निक्षेप/बैंक गारन्टी की जब्ती के खिलाफ अपील:—आबंटित निर्यात हकदारी का उपयोग न करने पर पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी की जब्ती के खिलाफ निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उचित रूप से विचार करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पेशगी निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त किए जाने पर सम्बन्धित निर्यातक ऐसी जब्ती के खिलाफ वस्त्र आयुक्त को जब्ती से सम्बन्धित पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त प्रतिवेदन मिलने पर जितना शीघ्र सम्भव होगा, अपना निर्णय देंगे। यदि किसी मामले में निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह निर्णय को बताने हुए पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग द्वारा रोक रखी जाएगी और उस पर सरकार द्वारा गठित अपील समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(8) पहली अक्तूबर, 1982 से उपलब्ध मात्रा का विलयन:—इस सार्वजनिक सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 37-ईटीसी (पीएन)/82 दिनांक 18 सितम्बर, 1982 में अन्यत्र दिए गए के बावजूद 1 अक्तूबर, 1982 को उपलब्ध बाकी बची हुई सारी मात्रा जो आबंटित स्तर पर है या अभ्यर्पित है उसका सामान्य पूल में विलयन कर दिया जाएगा और वह पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे-छोटे आदेशों की प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों के लिए किसी आरक्षण के बिना आबंटित कर दी जाएगी।

(9) निर्यात हकदारी के आबंटन के लिए पर्यवेक्षण:—वस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात हकदारी के आबंटन से सम्बन्धित मामलों पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण का कार्य जारी रखेंगे। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति और सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेगी। उन मामलों में, जिन में मतभेद होगा, वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(10) पत्तनों द्वारा निकासी:—(क) नियंत्रण के अधीन उत्पादें:—इस उद्देश्य के लिए मनोनीत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अथवा अन्य किसी उचित प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्यात हकदारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पर और व्यक्तिगत प्रेषण के लिए पोतलदान बिलों की प्रतुलिपि प्रति पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लदान के पत्तनों पर प्रमाणन के सत्यापन के बाद ही पोतलदान अनुमेय होगा।

(ख) हथकरघा पोशाक:—जहां तक नियंत्रण की तदनुरूपी मदों सभी हथकरघा पोशाकों का कनाडा को और सूती हथकरघा पोशाकों का आस्ट्रिया को निर्यात से सम्बंध है, समन्वय प्रपत्र के भाग-2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पृष्ठांकन" के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान अनुमेय होगा। अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों और फिनलैंड को हथकरघा पोशाकों के निर्यात के मामले में, वस्त्र समिति द्वारा यह सत्यापन करने के पश्चात माल का उदगम हथकरघा है सीमा शुल्क प्राधिकारी पोतलदान की अनुमति देंगे।

(ग) "भारतीय मदों" के अधीन आने वाली पोशाकें:—"भारतीय मदों" के सम्बन्ध में जो कि भारत की परम्परागत लोक जीवन से संबंधित हस्त-शिल्प वस्त्र उत्पादें है, उन्हें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों, अमरीका, फिनलैंड, आस्ट्रिया और कनाडा को निर्यात के लिए सीमा शुल्क सदनों द्वारा पोतलदान की अनुमति विकास आयुक्त (हथकरघा) अथवा वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर ही होगी।

11(क) निर्यात प्रमाणपत्र उदगम प्रमाणपत्र और वीसा:—संबंधित द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय से जारी किए जाएंगे :

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(क) नियंत्रण के अधीन सभी बुनी हुई पोशाक की मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्गम के प्रमाण पत्र,

(ख) सभी अनियंत्रित पोशाकों/बुनी हुई मदों के लिए उदगम का प्रमाण-पत्र।

(2) फिनलैंड नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र

(3) नियंत्रित अथवा अनियंत्रित को छोड़कर आस्ट्रिया शक्ति चालित सूती वस्त्र मिल से बनी हुई पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

(4) कनाडा सलाई से बुनी हुई शक्ति चालित और मिल मिश्रित उद्गम की पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र किन्तु जो नियंत्रण के अधीन हैं उन्हें छोड़कर 500

14. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Maharashtra, Bombay.

15. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Manipur, Imphal.

16. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Meghalaya, Shillong.

17. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Nagaland, Kohima.

18. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Orissa, Bhubneswar.

19. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Punjab, Chandigarh.

20. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Rajasthan, Jaipur.

21. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts Government of Sikkim, Gangtok.

22. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tamil Nadu, Madras.

23. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tripura, Agartala.

24. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

25. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of West Bengal, Calcutta.

26. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Pondicherry, Pondicherry.

27. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Mizoram, Aizwal.

28. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar

29. Secretary to the Government of India, Department of Textiles, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.

30. Financial Adviser, Government of India, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.

31. Adviser (Village & Small Scale Industries), Government of India, Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.

32. Secretary, Industries Department, Delhi Administration Kashmere Gate, New Delhi.

33. Development Commissioner (Small Scale Industries), Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi.

34. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, 4-Siri Institutional Area, Hauzkhas, New Delhi.

35. Managing Director, National Bank for Agriculture and Rural Development, Post Box No. 6552, Dr. Anne Basant Road, Bombay-18.

36. Chairman, North Eastern Handicrafts & Handlooms Development Corporation, Bomfyle Road, Shillong.

37. Chairman, Khadi & Village Industries Commission, 3, Irla Road, Ville Parle, Bombay (West).

38. Managing Director, Handlooms & Handicrafts Export Corpn., Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

39. Shri Ashok Chatterjee, Director National Institute of Design, Paldi, Ahmedabad.

40. Smt. Mrinalini Sarabhai, 'Chidambaram' Ahmedabad-380013.

41. Prof. K. G. Subramaniam, Viswa Bharati University, Shantiniketan, West Bengal-731235

42. Dr. Kamala Chowdhary, Apartment-2 A, 33-Prithiviraj Road, New Delhi.

43. Shri Martand Singh, 'Gulmarg' Shahibag, Ahmedabad-380004.

44. Shri Ghulam Sheikh, Faculty of Fine Arts, University of Baroda, Baroda.

45. Shri Rajeev Sethi, C-4, Niti Bagh, New Delhi.

46. Shri Sankho Chowdhary, G-34, East of Kailash, New Delhi.

47. Smt Lotika Varadarajan, 74, Sunder Nagar, Ground floor, New Delhi-[illegible].

48. Shri Charles Correa, 9 Mathew Road Bombay.

49. Shri Hari K. Wattal, Kailash Carpets, Dholpur House, Agra.

50. Dr. Jyotindra Jain, 1, Ambika Society, Usmanpura, Ahmedabad.

51. Smt. Prema Srinivasan, West side House No 2, Adayar Club Gate Road, Madras-600028.

52. Smt. Homi J. Talyarkhan, Raj Bhavan, Gangtok, Sikkim.

53. Shri M. P. Nachimuthu, President Chennimalai Weaver's Cooperative Society Ltd., Chennimalai, Tamil Nadu.

54. Shri P. Rajagopal Naidu, President, Tribuvanam Silk Handloom Weavers Cooperative Society Ltd., Tribuvanam, P.O. Thanjavur Distt. Tamil Nadu.

EMD/Bank Guarantee furnished by him for quantities so surrendered.

(ii) In the case of FCFS Small Orders and Central/State Corporations Systems, an exporter shall be required to give earnest money deposit/performance bond backed by Bank Guarantees at the rate of 10 per cent of the F.O.B. value of the quantities applied for.

(iii) For the slow-moving items identified as such under the provisions of this Scheme, nominal Earnest Money Deposits prescribed by the Textile Commissioner would be required in place of EMD/Bank Guarantees as mentioned above.

(iv) An exporter, who exports not less than 90 per cent of the export entitlement allotted to him within the whole year under Past Performance or Manufacturer Exporter Systems, or in a particular period under other systems of allotment, will not be liable to forfeiture of EMD/Bank Guarantees. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If the utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of his EMD/Bank Guarantee in full. This will be subject to conditions fo force majeure, wherever these arise

(v) In the case of Central/State Corporations where the utilisation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter may be given the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for extension should be filed within one month of the end of the relevant export entitlement period. This provision will apply in the case of slow moving items under the FCFS Small Orders Systems. In such cases, the exporter will have to furnish EMD/ Bank Guarantee at double the normal rate for the balance quantity. In case of his failure to export fully the EMD/Bank Guarantee will be liable to be forfeited in full.

(vi) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to dis-qualification from getting export entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

7. Appeal Against Forfeiture of EMDs/Bank Guarantees :— For the purpose of giving due consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMDs/Bank guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply On forfeiture of EMDs/Bank gurantees by the Apparels Export Promotion Council, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation, give a ruling as early as possible If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

8. Merger of Available Quantities from 1st October, 1983 :— Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice and Public Notice No. 37-ETC(PN)/82 dated the 18th September, 1982, all balances of quantities available as on 1st of October, 1983 from unallocated levels or surrenders shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the FCFS Small Orders System without any reservation for different segments.

9. Supervision of Allocation of Export Entitlements :—The Textile Commissioner Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Coordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion the decision of the Textile Commissioner will be final

10. Clearance by Customs :

A. Products under restraint :—Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Apparels Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. Handloom garments :—In so far as exports of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and cotton handloom garments to Austria are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of "Inspection Endoresement" by the Textile Committee in Part-2 of the Combination Form In the case of exports of handloom garments to USA, EEC and Finland, Customs will permit shipments after verification of certification by the Textiles Committee as to the handloom origin of the goods.

C. Garments falling under "India Items" :—In respect of "India Items" which are traditional folklore handicrafts textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

11. A Export Certificate, Certificate of Origin and Visa :— The following certification required under the relevant bilateral textile agreement will be issued by the Apparels Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf :

(i) EEC—(a) Export Certificates and Certificates of Origin for all garment/knitwear items under restraint ;

(b) Certificates of origin for all non-restrained garments/knitwear items.

(ii) FINLAND—Export Certificates for restrained items.

(iii) AUSTRIA—Export Certificates for cotton powerloom/mill-made garments subject to restraint or surveillance.

(iv) CANADA—Export Certificates for garments of knitted, powerloom and millmade origin which are subject to restraint except for consignments valued at Canadian $ 500 or less

(v) U.S.A.—(a) VISA for all garment/knitwear consignments valued over US $250.

(b) Exempt Certification for consignments valued at US $ 250 or less

11.B. Handloom Certificate :—In the case of export of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and of cotton handloom garments to Austria, the Textile Committee will issue the certificates as prescribed in the bilateral Agreements for such products.

12. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

13. The address of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows

1. The Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019
2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
3. Office of the Textile Commissioner, Post Box No. 11500, Bombay-400020.
4. Textile Committee, 'Crystal' 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.
5. Development Commissioner, (Handicrafts) West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982